

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि०प्रा०(IV) यो०-14/2020-

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय - विभागान्तर्गत 04 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में अधिष्ठापित कम्प्यूटर के नेटवर्किंग के लिये कुल रू० 15,81,000.00 (पन्द्रह लाख इक्यासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 04 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में अधिष्ठापित कम्प्यूटर के नेटवर्किंग के लिये कुल रू० 15,81,000.00 (पन्द्रह लाख इक्यासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की है।

| क्र०सं० | संस्थान का नाम | स्वीकृत राशि (रूपये में) |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर | 4,60,000.00 |
| 2. | राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-7 | 1,21,000.00 |
| 3. | राजकीय पोलिटेकनिक, अररिया | 5,00,000.00 |
| 4. | राजकीय पोलिटेकनिक, शिवहर | 5,00,000.00 |
| | कुल योग - | 15,81,000.00 |

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष-2019-20 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष -2203 तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक), मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन -1301 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड-43-2203001050106 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी कोषागार संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरतः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष-2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन इसी संचिका के पृ०-03/टि० पर प्राप्त है।
- विमुक्त राशि का व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/

(मिर्जा आरिफ रजा),
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-14/2020-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-14/2020-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मुंगेर/पटना-7/अररिया/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-14/2020-

प्रतिलिपि- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर, राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-7, राजकीय पोलिटेकनिक, अररिया एवं राजकीय पोलिटेकनिक, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- वि०प्रा०(IV) यो०-14/2020-

1088

/पटना, दिनांक- 19.3.2020

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव /उप निदेशक (यो०)/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.20

सरकार के उप सचिव